न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 122/17 **निर्णय दिनांकः** 14-11-17

1. कोजाराम पुत्र नारायणराम जाति मेधवाल निवासी बाला का गोल तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27–02–1986
सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानप, कोलायत

उपस्थितिः–

1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानप कोलायत के निर्णय दिनांक 27–02–21986 जिसके द्वारा अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन दिनांक 27–02–1986 को चक 8 बी.डी. के मुरब्बा नम्बर 208/46 के किला नम्बर 14 ता 25 में 12 बीघा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 208/30 के किलानम्बर 12 ता 25 में 14 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 208/31 के किला नम्बर 12 ता 23 में 12 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 38 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आवंटन सहालकार समिति की राय से किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 35 प्रतिशत राशि भी जमा करवाइ जा चुकी है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन आदेश व कब्जे बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलांट को आवंटित रकबा पूर्व से ही कैलाशचन्द्र पुत्र भूरामल जाति ब्राहमण को आवंटित है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या उक्त रकबा सामान्य/भूमिहीन के तहत निर्विवाद रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध था अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को भूमिहीन के तहत आवंटन किया गया। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंन मियांद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित हो चुकी है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया

है कि प्रार्थी को पात्रता के अनुसार डबल आवंटन के भूमि बदले भूमि आवंटन हेतु पत्रावली आवंटन सहालकार समिति के समक्ष पेश हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अदालत मातहत के समक्ष ही आवंटन हेतु चाराजोइ करनी चाहिए थी। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से दिनांक 27–02–1986 को चक 8 बी.डी. के मुरब्बा नम्बर 208/46 के किला नम्बर 14 ता 25 में 12 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 208/30 के किला नम्बर 12 ता 25 में 14 बीघाअनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 208/31 के किला नम्बर 12 ता 23 में 12 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 38 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आवंटन सहालकार समिति की राय से किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 35 प्रतिशत राशि भी जमा करवाइ जा चुकी है।

(2) प्रकरण में अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन सलाहकार समिति की राय से बाद जॉच आराजी जैर सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में उपलब्ध होने के आधार पर आवंटित की गई। उक्त आराजी पूर्व में ही अन्य काश्तकार को आवंटित थी, इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन के संबंध में यह कथन तो अंकित कर दिया गया कि अपीलांटा डबल आवंटन के भूमि के बदले भूमि हेतु पत्रावली आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश हो। जबकि अदालत मातहत को तत्समय ही संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को अन्यत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि आवंटन न करते हुए प्रकरण सहालकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का कथन किया है। जो युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं है।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट की भूमिहीन/सामान्य श्रेणी की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(5) हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 15—04—2015 को अपीलांट का आवांटन यह कथन करते हुए निरस्त कर दिया गया कि अपीलांट को आवंटित भूमि रिकार्ड में कैलाशचन्द्र पुत्र भूराराम जाति ब्राहमण को आवंटित होकर रिकार्ड में अंकन हो चुका है। अतः प्रार्थी को पात्रता के अनुसार डबल आवंटन के भूमि के बदले भूमि आवंटन हेतु पत्रावली आईन्दा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हो। अतः प्रार्थी को बजाय यह अपील प्रस्तुत करने के चाहिए था कि वह अधिनस्थ न्यायालय से चाराजोई करता, किन्तु प्रार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—02—1986 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15-11-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर